Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Anganbari Appeal No.- 11/2023

Nutan Sinha ..... Appellant.

Versus

The State of Bihar & Ors ..... Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	05.01.2024	**आदेश** प्रस्तुत आँगनबाड़ी अपील वाद जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक–1798 दिनांक–12.08.2013 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No. 22855/2013 में दिनांक–22.06.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदक दाखिल है। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक–157 दिनांक–07.02.2011 द्वारा बनमनखी प्रखंड में ये महिला पर्यवेक्षिका के रूप में चयनित एवं पदस्थापित हुई। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बनमनखी के ज्ञापांक–68 दिनांक–18.02.2011 द्वारा इन्हें कुल तीन केन्द्रों की जिम्मेवारी सौंपी गई, जिसका ये निष्ठापूर्वक निर्वहन करती रही। इनके द्वारा केन्द्र भ्रमण के दौरान विभिन्न केन्द्रों पर पाई गई अनियमितताओं के संबंध में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बनमनखी को आवश्यक कार्यार्थ ससमय सूचित किया जाता रहा। जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा केन्द्रों की जाँच में पाई गई अनियमितता के विरूद्ध ज्ञापांक–7785 दिनांक–14.06.2012 द्वारा अपीलार्थी से स्पष्टीकरण की माँग की गई। इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुए ज्ञापांक–2047 दिनांक–12.07.2012 द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा की माँग की गई। इनके द्वारा समर्पित कारण–पृच्छा को दरकिनार करते हुए ज्ञापांक–2146 दिनांक–21.07.2012 द्वारा चयनमुक्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No.- 14968/2012 में दिनांक–22.08.2012 द्वारा पारित आदेशानुसार महिला पर्यवेक्षिका के एक पद को रिक्त रखते हुए अपील निष्पादन का निदेश दिया गया। तदनुसार अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में विविध अपील सं0–78/2012 दायर किया गया। जिसमें दिनांक–17.10.2012 निम्न न्यायालय आदेश को निरस्त करते हुए पुनः विचारण पश्चात् मुखर आदेश पारित करने हेतु जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के समक्ष प्रतिप्रेषित (Remand) किया गया, किन्तु जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा तथ्यों पर बिना विचार किये अपने पूर्व के आदेश को हीं बरकरार रखा गया।	

Web Copy, Not Official.

		अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध पुनः माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष CWJC No.-22855/2013 दायर किया गया। जिसमें पारित आदेश के आलोक में प्रस्तुत अपील दायर किया गया है। क्रमशः	
	लगातार 05.01.2024	इनका आगे कथन है कि जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा पारित आदेश मनमाना, अवैध एवं तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है। इस न्यायालय द्वारा विविध अपील सं0–78/2012 में दिनांक–17.10.2022 को पारित आदेशानुसार निम्न न्यायालय को यह स्पष्ट निदेश दिया गया था कि आँगनबाड़ी पर्यवेक्षिका द्वारा भ्रमण के दौरान पाई गई अनियमितताये के संबंध में जो पत्र बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को प्रेषित किया गया है उसकी सत्यता की जाँच करें। यदि वे सत्य पाये जाते हैं तो पुनः उक्त आधार पर सुनवाई करते हुए न्यायोचित मुखर आदेश पारित करने का निदेश दिया गया था। उल्लेखनीय है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बनमनखी ने अपीलार्थी के कथनों का समर्थन किया है कि अपीलार्थी द्वारा जाँच के क्रम में सेविका एवं सहायिका के विरूद्ध पाई गई अनियमितताओं के आलोक में समुचित कार्रवाई एवं राशि वसूली की अनुशंसा की गई है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक–26.08.2011 से दिनांक–12.06.2012 के बीच कुल पंद्रह तिथियों को इस प्रकार की अनुशंसा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बनमनखी के समक्ष समर्पित की गई है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बनमनखी द्वारा जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के समक्ष सुनवाई के दौरान अपने कार्यालय ज्ञापांक–199 दिनांक–04.04.2013 द्वारा अपीलार्थी के दावे की पुष्टि की गई है। किन्तु जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा इसकी अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान केन्द्र संचालन में पायी जानेवाली अनियमितताओं के विरूद्ध अपीलार्थी को किसी प्रकार की कार्रवाई का अधिकार नहीं है बल्कि उनके द्वारा अपने वरीय पदाधिकारी (बाल विकास परियोजना पदाधिकारी) को मात्र अनुशंसा किया जाना है, जो इनके द्वारा नियमित किया जाता रहा है। जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा तथ्यों को तोड़–मरोड़कर मनमाने ढ़ंग से अपने पूर्व के आदेश को बरकरार रखा गया है जो न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया ने पत्रांक–1343 दिनांक–22.09.2023 द्वारा मंतव्य प्रतिवेदन समर्पित करते हुए स्पष्ट किया है कि जिला स्तरीय टीम द्वारा दिनांक–12.05.2012 एवं दिनांक–14.05.2012 के औचक निरीक्षण में अपीलार्थी के आवंटित केन्द्रों में कुछ को बंद पाया जाना एवं कुछ केन्द्रों पर बच्चों की कम उपस्थिति पाये जाने के विरूद्ध इनसे दो बार स्पष्टीकरण की माँग की गई जिसे असंतोषप्रद पाते हुए जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा चयनमुक्त किया गया। आयुक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के समक्ष सुनवाई के दौरा अपीलार्थी द्वारा	

Web copy. Not Official.

		स्पष्ट किया गया कि उनके द्वारा केन्द्रों का सतत् निरीक्षण किया जाता था एवं तत्संबंधी अनुशंसा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बनमनखी को की जाती रही थी। अपीलार्थी के उक्त कथन का समर्थन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बनमनखी के पत्रांक–199 दिनांक–04.04.2013 द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया को उपलब्ध कराया है। अपीलार्थी द्वारा प्रतिवेदित कुल 16 केन्द्रों पर बरती गई अनियमितता के आलोक में दो का चयनमुक्ति प्रस्ताव एवं तीन केन्द्रों पर बढ़ोतरी का पोषाहार राशि निर्धारित किया गया तथा शेष 11 क्रमशः	
	लगातार 05.01.2024	केन्द्र के लिए स्पष्टीकरण पूछा गया। जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा उक्त तथ्यों का अवलोकनोपरांत ज्ञापांक–1798 दिनांक–12.08.2013 द्वारा अपने पूर्व के आदेश को संपुष्ट करते हुए अपील खारिज कर दिया गया। उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत अपीलार्थी का दावा है कि उनके द्वारा नियमित रूप से आँगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण किया जाता था तथा पायी जानेवाली अनियमितता के विरूद्ध बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बनमनखी को प्रतिवेदन भी समर्पित किया जाता था। इस न्यायालय द्वारा विविध अपील सं0–78/2012 में दिनांक–17.10.2012 को पारित निदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा मात्र उक्त निदेश का अनुपालन किया जाना था। उक्त विविध अपील वाद में पारित Observation के आलोक में ही कार्रवाई अपेक्षित थी। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया ने स्पष्ट किया है कि अपीलार्थी द्वारा अपने कार्यकाल में केन्द्र भ्रमण/निरीक्षण के क्रम में पाई जानेवाली अनियमितताओं संबंधी सूचना/अनुशंसा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बनमनखी को दी जाती रही थी। इनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त के आलोक में कई केन्द्रों की सेविकाओं के विरूद्ध कार्रवाई की गई है। जिसकी पुष्टि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बनमनखी के पत्रांक–199 दिनांक–04.04.2013 से भी होती है। इससे अपीलार्थी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप स्वतः खंडित हो जाता है। निम्न न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया है, जो सही नहीं है। अतः उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश को विधिसम्मत् एवं न्यायोचित नहीं पाते हुए निरस्त किया जाता है। अपीलार्थी को इनके पूर्व पद (महिला पर्यवेक्षिका) पर पुनः बहाल करने का आदेश दिया जाता है। अपीलार्थी को चयनमुक्ति अवधि का किसी प्रकार का मानदेय भुगतेय नहीं होगा। अपील आवेदन स्वीकृत। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित।	

Web Copy, Not Official.

		आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।

Web Copy. Not Official.